संख्या– 62 /VI-2/2017–51(03)2016

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून दिनांक 28 मार्च, 2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित बजट को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1821/दो–लेखा–2897/2016–17 दिनांक 04.03.17 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2204 के आयोजनागत पक्ष में उल्लिखित मदों के सापेक्ष **संलग्नक 'क'** के अनुसार कुल धनराशि रू0 654 हजार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2013–14 के लिये रू0 20,28,451/–, वर्ष 2014–15 के लिये रू0 15,59,212/– तथा वर्ष 2015–16 के लिये रू0 13,81,665/– अर्थात तीनों सत्र की कुल धनराशि रू0 49,69,328/– की प्रतिपूर्ति की मांग भारत सरकार से की गयी थी, किन्तु मांग के सापेक्ष मात्र रू0 42,23,978/– प्रतिपूर्ति हुई है, जो कि मांग की गयी धनराशि से रू0 7,45,350/– कम प्राप्त हुए हैं। अतः अपने स्तर से अवशेष धनराशि को अतिशीघ्र प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 तथा शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

5– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

6– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–001–निदेशान तथा प्रशासन–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0104–एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आयोजनागत पक्ष** के नाम **संलग्नक–'क'** के विवरणानुसार डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

.....2

संलग्नक–क

शासनादेश संख्या– 62/VI-2/2017–51(03)2016

अनुदान संख्या–11

लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें

00–

001–निदेशन तथा प्रशासन

01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

0104–एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	मानक कोड एवं मद	बजट प्राविधान	शासनादेश दिनांक 11.05.16 के द्वारा पूर्व में निर्गत धनराशि	शासनादेश दिनांक 13.10.16 के द्वारा पूर्व में निर्गत धनराशि	अवशेष बजटीय धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु स्वीकृत/अवमुक्त बजट
1	01–वेतन	1700	567	–	300
2	02–मजदूरी	100	33	–	10
3	03–महंगाई भत्ता	2000	667	–	200
4	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	700	233	323	144
				योग–	654

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।